संख्या-70/53-2-2025

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उ0प्र0/
मिशन निदेशक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 13 फरवरी, 2025

विषय- 'नन्द बाबा दुग्ध मिशन' के अन्तर्गत "**मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना**" के दिशा-निर्देश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दुग्ध आयुक्त/मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पत्रांक-506/एस0पी0एम0यू0/मु0स्व0गौ0यो0(28)/2024-25, दिनांक 24 जनवरी, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दुग्ध विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-811/53-2-2023, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना''के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के प्रस्तर-4 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किये जाने के उद्देश्य से "**मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना**" के दिशा-निर्देश में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
4.	योजना का स्वरूपः- (ix) क्रय की गयी समस्त गायों का 03 वर्षों का पशु बीमा एकमुश्त कराया जाना अनिवार्य होगा। क्रय किये जाने वाले स्थान/राज्य से पशुपालक द्वारा इकाई स्थापित करने के स्थान तक गाय को लाये जाने हेतु पशु ट्रांजिट बीमा कराया जाना लाभार्थी के लिए स्वैच्छिक होगा।	योजना का स्वरूपः- (ix) क्रय की गयी समस्त गायों का 01 वर्ष का पशु बीमा कराया जायेगा। प्रथम वर्ष की बीमा पूर्णता पर आगामी 02 वर्षों तक 01-01 वर्ष का बीमा लाभार्थियों द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा तथा लाभार्थियों से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त करने के बाद ही अनुदान की राशि अवमुक्त की जाएगी। क्रय किये जाने वाले स्थान/राज्य से पशुपालक द्वारा इकाई स्थापित करने के स्थान तक गाय को लाये जाने हेतु पशु ट्रांजिट बीमा कराया जाना लाभार्थी के लिए स्वैच्छिक होगा।

विषयगत शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 13-02-2025 15:56:03

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या-70(1)/53-2-2024, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास/नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश।

(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।